


सोसायटी का ज्ञापन पत्र

1. समिति का नाम : सर्व धर्म सेवा संघ।
2. समिति का पंजीकृत पता : गांव व डाकखाना पुरखास धीरान,
तहसील व जिला सोनीपत-131102
(हरियाणा)।
3. कार्यक्षेत्र : समस्त हरियाणा।
4. समिति के उद्देश्य :
1. सोसायटी का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार-प्रसार करना होगा।
 2. सभी प्रकार के स्कूल, कालेज, अनुसंधान, कम्प्यूटर, आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना करना एवं आधुनिक उदार, व्यापारिक, औद्योगिक, तकनीकी, चिकित्सा, शैक्षणिक, व्यवहारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
 3. शिक्षण संस्थाएं, भवन, औषधालय, पुस्तकालय, धर्मशाला और कल्याणकारी संस्थाएं स्थापित करना शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
 4. समाज के पिछडे वर्ग व महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल कार्यक्रम आयोजित करना व यथासम्भव आर्थिक मदद करना।
 5. गौरक्षा एवं गौसेवा कार्यक्रमों का आयोजन करना।
 6. बिरादरी व समाज की भलाई के लिए धर्मशाला आदि का निर्माण करना तथा उसका रख-रखाव करना।
 7. समिति का मुख्य उद्देश्य सभी बिरादरियों को आपसी प्रेम एवं भाईचारे के साथ रहने का सन्देश देना होगा व समाज के सभी प्रकार के झगड़ों को आपसी वार्तालाप द्वारा, शान्तिपूर्वक ढंग से निपटाना होगा।
 8. महिलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे ब्यूटीशियन, टेलरिंग एण्ड कटिंग, पेन्टिंग, कढाई-बुनाई, फैशन डिजायनिंग आदि केन्द्र चलाकर महिलाओं को प्रशिक्षित करना।
 9. सभी जातियों के व्यक्तियों के कल्याण के लिए साहित्यिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाना व शोषण के विरुद्ध जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
 10. बाल श्रम को रोकने में सरकार से मदद मांगना व दोषी को सजा दिलवाना।
 11. योग्य एवं बुद्धिमान विद्यार्थियों को वित्तिय सहायता और प्रोत्साहन देना।
 12. सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी द्वारा प्रारम्भ की गई गतिविधियों के लिए दान, चंदा, शुल्क आदि फण्ड एकत्रित करना।
 13. सोसायटी के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी की सारी अथवा कुछ चल अथवा अचल सम्पत्ति को पट्टे पर देना।


President Gen. Secretary Treasurer
Sarv Dharam Sewa Sangh
Sonipat (Haryana)



14. समाज में नारी उत्थान एवं संरक्षण हेतु कार्य करना तथा महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ हर सम्भव मदद करना।
15. समाज के शोषित वर्ग की यथासम्भव सहायता करना।
16. समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि के बारें में महिलाओं को जागरूक करना।
17. बेराजगार महिलाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध कराना व उनके बारें में जानकारी मुहयया कराना।
18. भ्रूण हत्या रोकने के उपायों पर विचार करना, सैमिनार, विचार गोष्ठी, प्रतियोगिता आयोजित करना, दहेज प्रथा के लिए आंगनवाड़ी वर्करों के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दहेज के विरुद्ध सशक्त वातावरण तैयार करना।
19. पर्यावरण संरक्षण हेतु महिलाओं को पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना।
20. समाज में आयुर्वेद को जारी करना और उसके लाभों से अवगत कराना।
21. समाज में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के वर्गों के लोगों के विकास के लिए कार्य करना।
22. ग्रामीण युवाओं के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक विकास व विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे खेलकुद सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
23. नवयुवकों में बढ़ती नशे की बीमारी के प्रति समाज को जागरूक करना।
24. एड्स के बारे में समाज को जागरूक करना व इसकी रोकथाम के उपाय बताना।
25. सामाजिक / प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित लोगों की हर प्रकार से सहायता करना।
26. गरीब एवं असहाय वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न चिकित्सकीय कैम्पों का आयोजन करना।
27. हर स्तर व हर प्रकार की राजनीति से मुक्त होकर सेवा प्रदान करना।
28. ग्राम, जिला, व राज्य स्तर पर निस्वार्थ भावना से शिक्षा, पर्यावरण, सम्पूर्ण विकास तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य करना।
29. देश के प्राचीन ज्ञान एवं संस्कृति को बढ़ावा देना, वाद विवाद, भाषण, कॉन्फैन्स आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
30. नागरिकों में जागृति, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, भाई चारे व चरित्र निर्माण तथा समाज, राष्ट्र व विश्व की सेवा शान्ति भावना का प्रसार करना तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना।
31. आंखों की बिमारियों के प्रति जन साधारण को जागरूक करना व निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाना।
32. विधवा व बेसहारा औरतों की मदद करना, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल, निराश्रित महिला अवास व महिला विकास के समस्त कार्य करना।
33. महिला शोषण व कुरीतियों को दूर करना व आर्थिक स्थिति से पिछड़े व बेसहारा वर्ग की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग देना।
34. कल्याण व समाज कल्याण एवं बाल कल्याण, महिला वृद्ध तथा शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों के कल्याण एवं इनके पूर्ण पूर्नवास के लिए कार्यक्रम चलाना।
35. शिशु ग्रहों, महिलाश्रम, वृद्धाश्रम, अल्पकालीन आवास व्यवस्था, शैल्टर होम, डे होम्स, विपति ग्रस्त बाल महिला पूर्नवास एवं प्रशिक्षण व्यवस्था के अन्दर यात्री देखभाल,

13
President Gen. Secretary Treasurer
Sarv Dharam Sewa Sangh
Sonipat (Haryana)

- किशोरों की सामाजिक कुसमायोजन की रोकथाम व नियंत्रण, समेकित शिक्षा एवं बाल विकास योजना व्यवस्था करना।
36. प्रसवोत्तर कार्यक्रमों तथा प्रसवग्रह, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण, परिवार कल्याण के लिए शिविरों का आयोजन करना, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी प्रोत्साहन कैम्प चलाना।
37. शहरी झुग्गी झोपड़ी, बस्तियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व वहां परिवार कल्याण के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था करना।
38. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाना, भूमिहीन ग्रामीणों के लिए रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य आदि कार्यक्रम चलाना।
39. प्रदूषण नियन्त्रण एवं युवा विकास कार्यक्रम चलाना तथा निरक्षर नागरिकों के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार करना व उसके लिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध करना।
40. समिति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलायमान या अचलायमान सम्पत्ति और भूमि, भवन आदि को ग्रहण करना, खरीदना, लीज पर लेना।
41. समिति उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हर प्रकार के दान, चन्दे एवं तोहफे किसी भी सरकारी विभाग अथवा किसी व्यक्ति विशेष से स्वीकार कर सकती है।
42. समिति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी बैंक/फर्म अथवा अन्य से लोन प्राप्त करना तथा इसका उपयोग सोसायटी के कार्यों में करना।

5. शर्तें :—

1. समिति की सभी प्रकार की आय एवं सम्पत्ति का प्रयोग, कथित संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया जायेगा। सम्पत्ति का कोई भी भाग संस्था के किसी भी सदस्य को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
2. समिति के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। सभी पदाधिकारी/सदस्य अवैतनिक रूप में कार्य करेंगे।
3. समिति के स्मरण पत्रक के अनुसार समिति किसी भी प्रकार के लाभ के लिए उत्तरदायी होगी, अगर वह लाभ समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हो।
4. अगर किसी कारण वश समिति का समापन/समन्वय करना पड़े तो समिति किसी भी प्रकार की चल-अचल सम्पत्तिया को बेच नहीं सकती। उन सम्पत्तियों का हस्तांतरण ऐसे ही उद्देश्यों वाली किसी दूसरी पंजीकृत संस्था को करना होगा।


President Gen. Secretary

Treasurer
Sarv Dharam Sewa Sangh
Sonipat (Haryana)